

डिक्री वमुकददमें इत्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्वा दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना

--: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प :-

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 181/2018

दायर दिनांक 09.06.2018

वादी	वनाम	प्रतिवादीगण
1. घनश्यामसिंह जोधा पुत्र भगवानसिंह जोधा, उम्र-51साल, 2. सुकान्त जोधा पुत्र भगवानसिंह जोध्या, उम्र-44साल, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-सिंगरावट कलौं, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	वनाम	1. भगवानसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र-71साल, 2. उम्मेदकँवर पत्नी भगवानसिंह, उम्र-70साल, 3. नीतासिंह पत्नी घनश्यामसिंह जोधा, उम्र-48साल, 4. हिमाशुकुमारी पत्नी सुकान्त जोधा, उम्र-42साल, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-सिंगरावट कलौं, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, R.T.Act.

दिनांक 09.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु हमारे व हाजरी
मिनजानिव मुददई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता
है कि,

1. हस्य दावा डिक्री सादिर कर, शरहद सिंगरावट कलौं में खसरा नम्बर 174
रकवा 35.09 बीघा, खसरा नम्बर 67 रकवा 27.00 बीघा, खसरा नम्बर 210
रकवा 39.06 बीघा, का वादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाता है।
2. शरहद सिंगरावट कलौं में खसरा नम्बर 64 रकवा 40.00 बीघा, खसरा नम्बर
201 रकवा 20.00 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकवा 31.18 बीघा, का वादी संख्या
02 को खातेदार घोषित किया जाता है।
3. शरहद सिंगरावट कलौं में खसरा नम्बर 226 रकवा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर
250 रकवा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 227 रकवा 29.04 बीघा, खसरा नम्बर 357
रकवा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकवा 33.05 बीघा, खसरा संख्या
507/227 रकवा 01 बीघा, 508/227 रकवा 01 बीघा, खसरा संख्या
509/360 रकवा 01 बीघा, खसरा सं0 510/360 रकवा 01 बीघा, खसरा सं0
511/360 रकवा 01 बीघा, खसरा सं0 517/227 रकवा 02.01 बीघा, खसरा
सं0 578/360 रकवा 02.01 बीघा वाकै शरहद सिंगरावट कला का प्रतिवादी
संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे।
4. शरहद बालिया में खसरा नम्बर 508 रकवा 01.00 बीघा, का प्रतिवादी संख्या 01
को खातेदार घोषित किया जाता है।

वादी संख्या 02 का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज "सुकान्तसिंह पुत्र
भगवानसिंह" के स्थान पर "सुकान्त जोधा पुत्र भगवानसिंह जोधा" दुरस्त किया जाता
है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रतिवादी संख्या 02 उम्मेदकँवर का नाम खसरा नम्बर 67 व 210 शरहद सिंगरावट कलों के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे तथा उक्त भूमि वादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी घोषित किया जाता है।

खेत खसरा नम्बर 507/227, 517/227 शरहद सिंगरावट कलों में से वादी संख्या घनश्यामसिंह का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम से घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 578/360, 510/360 शरहद सिंगरावट कलों की खातेदारी में से वादी संख्या 02 सुकान्त जोधा का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 508/227 शरहद सिंगरावट कलों में से प्रतिवादी संख्या 03 नीतासिंह का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम से खातेदारी घोषित किया जाता है।


खसरा नम्बर 509/360 शरहद सिंगरावट कलों में से प्रतिवादी संख्या 02 उम्मेदकँवर का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 511/360 शरहद सिंगरावट कलों की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 04 हिमांशुकुमारी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड पृथक-पृथक बन्टवारा किया जाकर उसी अनुसार दर्ज किया जावे। डिक्री जारी हो।


उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक क्लर्क
डी.डी.वाणी (मोगोर)
कोर्ट कैम्प-सिंगरावटकला

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकें का, चाहे डिगरी क जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक क्लर्क
डी.डी.वाणी (मोगोर)
कोर्ट कैम्प-सिंगरावटकला

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 181/2018

दायर दिनांक 09.06.2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. घनश्यामसिंह जोधा पुत्र भगवानसिंह जोधा, उम्र-51साल, 2. सुकान्त जोधा पुत्र भगवानसिंह जोधा, उम्र-44साल, समस्त,जाति-राजपूत, निवासी-सिंगरावट कलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. भगवानसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र-71साल, 2. उम्मेदकँवर पत्नी भगवानसिंह, उम्र-70साल, 3. नीतासिंह पत्नी घनश्यामसिंह जोधा, उम्र-48साल, 4. हिमांशुकुमारी पत्नी सुकान्त जोधा, उम्र-42साल, समस्त,जाति-राजपूत, निवासी-सिंगरावट कलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान् उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक 09.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 40.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 35.09 बीघा, खेत खसरा नम्बर 226 रकबा 0.18 बीघा, खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 29.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 357 रकबा 01.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 360 रकबा 33.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 20.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 31.18 बीघा, खेत खसरा नम्बर 250 रकबा 0.13 बीघा, खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 27.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 210 रकबा 39.06 बीघा, खसरा संख्या 507/227 रकबा 01 बीघा, 508/227 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 509/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं 510/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं 511/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं 517/227 रकबा 02.01 बीघा, खसरा सं 578/360 रकबा 02.01 बीघा


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 181/2018
दायर दिनांक 09.06.2018, निर्णय दिनांक 09.06.2018
घनश्यामसिंह, वगैरा बनाम् भगवानसिंह, वगैरा।

शरहद सिंगरावट कलॉ मे अवस्थित है तथा शरहद बालिया में खेत खसरा नम्बर 508 रकबा 01.00 बीघा, अवस्थित है। कुल करबा 268.15 बीघा भूमि स्थित है।
प्रार्थना वादीगण है कि,

1. शरहद सिंगरावट कलॉ में खसरा नम्बर 174 रकबा 35.09 बीघा, खसरा नम्बर 67 रकबा 27.00 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 39.06 बीघा, का वादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे।
2. शरहद सिंगरावट कलॉ में खसरा नम्बर 64 रकबा 40.00 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 20.00 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 31.18 बीघा, का वादी संख्या 02 को खातेदार घोषित किया जावे।
3. शरहद सिंगरावट कलॉ में खसरा नम्बर 226 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 227 रकबा 29.04 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 33.05 बीघा, खसरा संख्या 507/227 रकबा 01 बीघा, 508/227 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 509/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं 510/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं 511/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं 517/227 रकबा 02.01 बीघा, खसरा सं 578/360 रकबा 02.01 बीघा वाकै शरहद सिंगरावट कला का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे।
4. शरहद बालिया में खसरा नम्बर 508 रकबा 01.00 बीघा, का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी संख्या 02 का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज "सुकान्तसिंह पुत्र भगवानसिंह" के स्थान पर "सुकान्त जोधा पुत्र भगवानसिंह जोधा" दुरस्त किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 02 उम्मेदकँवर का नाम खसरा नम्बर 67 व 210 शरहद सिंगरावट कलॉ के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे तथा उक्त भूमि वादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी घोषित की जावे।


खेत खसरा नम्बर 507/227, 517/227 शरहद सिंगरावट कलॉ में से वादी संख्या घनश्यामसिंह का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम से घोषित की जावे।

खसरा नम्बर 578/360, 510/360 शरहद सिंगरावट कलॉ की खातेदारी में से वादी संख्या 02 सुकान्त जोधा का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम खातेदारी घोषित की जावे।

खसरा नम्बर 508/227 शरहद सिंगरावट कलॉ में से प्रतिवादी संख्या 03 नीतासिंह का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम से खातेदारी घोषित की जावे।

खसरा नम्बर 509/360 शरहद सिंगरावट कलॉ में से प्रतिवादी संख्या 02 उम्मेदकँवर का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम खातेदारी घोषित की जावे।

खसरा नम्बर 511/360 शरहद सिंगरावट कलॉ की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 04 हिमांशुकुमारी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी घोषित की जावे।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 181/2018
दायर दिनांक 09.06.2018, निर्णय दिनांक 09.06.2018
घनश्यामसिंह, वगैरा बनाम् भगवानसिंह, वगैरा।

वाद वादी न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-सिंगरावट कलॉ में पत्रावली पेश हुआ। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित है। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् दावानुसार वाद डिक्री किया जाने में सहमत हैं।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना, सही होना पाया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मददे नजर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा सिंगरावट व बालिया के वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीटस एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. शरहद सिंगरावट कलॉ में खसरा नम्बर 174 रकबा 35.09 बीघा, खसरा नम्बर 67 रकबा 27.00 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 39.06 बीघा, का वादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाता है।
2. शरहद सिंगरावट कलॉ में खसरा नम्बर 64 रकबा 40.00 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 20.00 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 31.18 बीघा, का वादी संख्या 02 को खातेदार घोषित किया जाता है।
3. शरहद सिंगरावट कलॉ में खसरा नम्बर 226 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 227 रकबा 29.04 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 33.05 बीघा, खसरा संख्या 507/227 रकबा 01 बीघा, 508/227 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 509/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 510/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 511/360 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 517/227 रकबा 02.01 बीघा, खसरा सं0 578/360 रकबा 02.01 बीघा वाकै शरहद सिंगरावट कला का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे।
4. शरहद बालिया में खसरा नम्बर 508 रकबा 01.00 बीघा, का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 181/2018
दायर दिनांक 09.06.2018, निर्णय दिनांक 09.06.2018
घनश्यामसिंह, वगैरा बनाम् भगवानसिंह, वगैरा।

वादी संख्या 02 का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज "सुकान्तसिंह पुत्र भगवानसिंह" के स्थान पर "सुकान्त जोधा पुत्र भगवानसिंह जोधा" दुरस्त किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 02 उम्मेदकँवर का नाम खसरा नम्बर 67 व 210 शरहद सिंगरावट कलॉ के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे तथा उक्त भूमि वादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी घोषित किया जाता है।

खेत खसरा नम्बर 507/227, 517/227 शरहद सिंगरावट कलॉ में से वादी संख्या घनश्यामसिंह का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम से घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 578/360, 510/360 शरहद सिंगरावट कलॉ की खातेदारी में से वादी संख्या 02 सुकान्त जोधा का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 508/227 शरहद सिंगरावट कलॉ में से प्रतिवादी संख्या 03 नीतासिंह का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम से खातेदारी घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 509/360 शरहद सिंगरावट कलॉ में से प्रतिवादी संख्या 02 उम्मेदकँवर का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 511/360 शरहद सिंगरावट कलॉ की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 04 हिमांशुकुमारी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड पृथक-पृथक बन्टवारा किया जाकर उसी अनुसार दर्ज किया जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

कोर्ट कैम्प-सिंगरावट कलॉ

निर्णय, आज दिनांक 09.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प सिंगरावट कलॉ में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

कोर्ट कैम्प-सिंगरावट कलॉ